टूर व ट्रेवल व्यवसायियों का पर्यटन विभाग में कराना होगा पंजीकरण

पर्यटन नीति-2022 के तहत ले सकेंगे आर्थिक लाभ

दो अलग-अलग श्रेणियों में किया जाएगा पंजीकरण

लखनऊ। प्रदेश में टूर व ट्रेवल व्यवसायियों को अब पर्यटन विभाग में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण दो श्रेणियों में 1ए और 1बी में होगा। इसके बाद पर्यटन नीति-2022 के तहत इन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा। वहीं, दूसरे राज्यों में अपना प्रचार-प्रसार भी कर सकेंगे।

पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इन व्यवसायियों का पंजीकरण न होने से इन्हें कभी-कभी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। इसे दूर करने के लिए पर्यटन विभाग में रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। इससे व्यवसायियों को विभाग से मिलने वाले सभी लाभ प्राप्त होंगे। वहीं, पर्यटकों को सुरक्षा के साथ ही उच्च कोटि की सुविधाएं भी मिलेंगी।

उन्होंने बताया कि टूर व ट्रेवल व्यवसायियों का 1ए में स्टार्टअप और टूर-ट्रेवल ऑपरेटर या उनके स्टाफ के पास पर्यटन में डिग्री, डिप्लोमा या पर्यटन क्षेत्र में काम करने का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही यूपी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। पंजीकरण फीस एक हजार रुपये है। शर्तें पूरी करने पर पर्यटन विभाग तीन वर्ष के लिए प्रमाणपत्र देगा।

वहीं अनुभव श्रेणी में पंजीकरण के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपये से अधिक का टर्नओवर, पर्यटन में डिग्री या डिप्लोमा और यूपी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन व कार्यालय होना चाहिए। पंजीकरण शुल्क 2500 रुपये है।